संख्या-08/2021/148/क0नि0प्र0/26-3-2021-18(109)/2018

प्रेषक

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी,2021

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू एस.सी. एस.पी.) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के दिशा निर्देशों के अनुसार गैप फिलिंग एक्टीविटीज हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-35/2020/972/क0नि0प्र0/26-3-2020-18 (109)/ 2018 टीसी-। दिनांक 21.12.2020 एवं शासनादेश संख्या-7/2021/96/क0नि0प्र0/26-3-2021-18 (109)/ 2018 दिनांक 27.01.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित ग्रामों के सापेक्ष प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक-1992/पी0एम0ए0जी0वाई0/2020-21 दिनांक 28-01-2021 के संदर्भ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में गैप फिलिंग एक्टीविटी संबंधी कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु प्रति ग्राम रू0 20.00 लाख की दर से रू0 8300.00 लाख (रू0 तिरासी करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त धनराशि प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा आहरित की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यो हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध/ अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराकर स्वीकृत वी.डी.पी. (Village Development

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Programme) के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि संबंधित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) संबंधित जनपद द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) से प्रश्नगत योजनान्तर्गत कराये जाने वाले स्वीकृत कार्यो का रू0 20.00 लाख रूपये का प्रत्येक ग्राम सभावार पृथक-पृथक वास्तविक व्यय विवरण (आंगणन) प्राप्त करते हुए धनराशि स्वीकृत कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

(3) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्यो हेतु सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर जिला प्रशासन/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,महानगर,लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेगें। प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा व्यय धनराशि की संकलित प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उलब्ध करायी जायेगी।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों में गैप फिलिंग एक्टीविटी के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु आगणन भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार तैयार कराये जायेगे।

(5) प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) हेतु निर्धारित मानक/व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(7) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय-विवरण निगम मुख्यालय पर अन्य योजनाओं से पृथक रखा जायेगा तथा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत योजनान्तर्गत निगम द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खोले गये बचत खाते का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व एवं वित्तीय स्वीकृत का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण तथा व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार फेजिंग में किया जायेगा।

(11) स्वीकृति धनराशि का वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा तथा सुसंगत नियमो का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर निर्गत की गयी है।

(13) प्रश्नगत योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता की मानीटरिंग जिला स्तर पर पी.एम.ए.जी.वाई. अभिसरण समिति द्वारा नियमानुसार की जायेगी एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) प्रश्नगत स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजनान्तर्गत समय से व्यय किये जाने तथा कार्य में अपेक्षित गति बनाये रखने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जनपदीय अधिकारियों को यथावश्यक निर्देश समय-समय पर अपने स्तर से निर्गत किये जायेगें।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पी.एम.ए.जी.वाई.) (के.100/रा.0-के.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/ 2020/ बी-1-196/ दस-2020-231/ 2020 दिनांक11-04-2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-136/दस/2021 दिनांक 09 फरवरी,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या- 08 /2021/148 (1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको), टी.सी.46-5 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।

8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in